न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.:—246 / 2012

1. श्यामलाल	पुत्रगण	जाति वैश्य
2. ईश्वरचन्द	किशनलाल	नि0 ग्राम
3. श्रीमति कस्तूरी (मृतक) के वारिस व काबिज तरका श्यामलाल व ईश्वरचन्द, श्रीमति सुशीला व राजकुमार जो पहले से पक्षकार है के अलावा		जघीना तहसील व जिला भरतपुर

3.1. उर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय कैलाशचन्द नि. राधा कुण्ड जिला मथुरा (उ.प्र.)

3.2. राधा देवी उर्फ राजरानी पत्नी ओमप्रकाश नि. जतीपुरा जिला मथुरा (उ.प्र.)

.....वादीगण

बनाम

1. रामबाबू पुत्र प्रभु		अकवाम वैश्य नि.
2. सुरेशचन्द मृतक		बुद्ध की हाट
2.1. गिरीश कुमार	पुत्रगण	भरतपुर तहसील
2.2. संजीव कुमार	सुरेशचन्द	व जिला भरतपुर
2.3. श्रीमति ऊषा	पुत्रीयान	
2.4. श्रीमति रीना	सुरेशचन्द	
3. स्वराज पुत्र प्रभु		

.....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः—30.07.2018

वादीगण ने जारिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण श्यामलाल व ईश्वरचन्द के पिता श्रीकिशनलाल थे श्रीमति कस्तूरी किशनलाल की विधवा है तथा श्रीमति सुशीला किशनलाल के लड़के महेश की विधवा है व वादी राजकुमार महेश का लड़का है।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 प्रभु के लड़के तथा मोतीलाल के नाती (पौत्र) है यानि मोतीलाल के पुत्र प्रभु के प्रतिवादीगण लड़के है तथा मोतीलाल व प्रभु दोनो का देहान्त हो चुका है। इसलिये उनके वारिसान को दावा में पक्षकार बनाया गया है।

गत खसरा नम्बर 2215 रकवा 2 बीघा 3 विस्वा, 2218 रकवा 18 विस्वा, 2217 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा, 2220 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा 2223 रकवा 2 बीघा 1 विस्वा, 2224 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा, 2242 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा जिनके वर्तमान में खसरा नम्बर 8753 रकवा 61 ऐयर, 8751 रकवा 20 ऐयर, 8760 रकवा 37 ऐयर, 8754 रकवा 30 ऐयर, 8737 रकवा 33 ऐयर, 8738 रकवा 36 ऐयर वाके ग्राम जघीना तहसील भरतपुर है के वादीगण के पूर्वज किशनलाल निस्फ हिस्से के व प्रतिवादीगण के पूर्वज मोतीलाल आराजी मुतदाबिया के निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज थे। लेकिन राजस्व रिकोर्ड में गत खसरा नं0 2224, 2242 में उनको गैर मौरूसी दर्ज कर रखा था लेकिन सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा दिनांक 23.08.60 के जरिये उन्हें इन खसरा नम्बरों को भी खातेदार घोषित करते हुए दाखिल खारिज दर्ज कर दिया गया। इसके उपरान्त पक्षकारान के मध्य आपस में आराजी का बटवारा होकर गत आराजी खसरा नम्बर 2215 रकवा 2 बीघा 3 विस्वा, 2217 रकवा 3 बीघा 5 विस्वा 2218 रकवा 18 विस्वा, 2220 रकवा 1 बीघा 2 विसवा किता 3 रकवा 6 बीघा 10 विस्वा किशनलाल पुत्र गड्डर व 2223 रकवा 2 बीघा 1 विस्वा, 2224 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा, 2242 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा किता 3 रकवा 6 बीघा 5 विस्वा मोती बल्द मोहन जाति वैश्य के नाम वहैसीयत खातेदार काश्तकार दर्ज किये गये। बटवारे के समय से ही पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहें।

मोती बल्द मोहन ने उक्त आराजी गत खसरा नं0 2223, 2224, 2242 किता 3 रकवा 6 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम जघीना तहसील भरतपुर को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.12.60 से हुब्बलाल, प्रतापसिंह अमरसिंह, महतापसिंह पुत्रगण श्री धुन्धरसिंह जाति जाट निवासी जघीना को व हिस्सा बराबर विक्रय कर दिया जिसका अमल भी जमाबन्दी संवत 2021 में हो गया। इस प्रकार मोतीलाल का हिस्सा विवादित आराजी में शेष नही रहा, और नहीं उक्त खसरा नम्बरान से किसी प्रकार का कोई संबंध है।

हाल खसरा नम्बर 8753 रकवा 61 ऐयर में से हिस्सा 48/61 व 8751 रकवा 20 ऐयर, 8760 रकवा 37 ऐयर किता 3 रकवा 105 ऐयर में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार अंकित कर रखा है व शेष 1/2 हिस्से पर मोती पुत्र मोहन को खातेदार अंकित हुआ है जबकि संवत् 2017 में ही आपसी बटवारा होकर उक्त 6 खसरा नम्बरों में से गत खसरा नम्बर 2223, 2224, 2242 मोती के नाम आये थे जो उसके नाम दर्ज थे जिसकी उसने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.12.60 से हुब्बलाल, प्रतापसिंह वगैरहा को विक्रय कर दिया था जो क्रेतागण के नाम राजस्व रिकोर्ड में चल रहा है लेकिन गत खसरा नम्बर 2215, 2218, 2217, 2220 अकेले किशनलाल के नाम जरिये दाखिला खारिज बटवारा आये लेकिन हाल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 में हाल खसरा नं0 8753, 8751, 8760 में किशनलाल के वारिसान कस्तूरी देवी वगैरहा के नाम 1/2 हिस्सा रखा गया है जबकि मोती पुत्र मोहन का इन्द्राज गलत किया गया है जो गैर कानूनी है तथा कलमजन किये जाने योग्य है।

वादीगण ने अपने निजी कार्य के सिलसिले में जमाबंदी हाल की नकल प्राप्त की तब वादीगण को इस बाबत जानकारी हुयी कि इसमें प्रतिवादी मोती के नाम आराजी मुतनाजा में निस्फ हिस्से के इन्द्राज गलत अंकित हो रहे है चूंकि मोती व प्रभु का स्वर्गवास हो गया है इसलिये उसके वारिसान को दावा पक्षकार बनाया गया है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में हाल आराजी खसरा नम्बरान 8753 में 48/61 हिस्सा, 8751 रकवा 20 एयर 8760 रकाव 37 एयर किता 3 रकवा 105 एयर में जो इन्द्राज प्रतिवादीगण के पूर्वजों मोती पुत्र मोहन के नाम 1/2 हिस्से के हो रहे है उनको कलमजन किया जाकर समस्त रकवे पर वादीगण को उनके हिस्से के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्बत् 2021 एवं 2014–2017, 2007–2063, नामान्तरकरण संख्या 471, 405, 406 जघीना नं0 2, मिलान क्षेत्रफल एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 29.12.60 की नकलें पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और दिनांक 16.03.2007 को अपना जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 बाबजूद तलवी रजिस्टर्ड एडी सम्मन से किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 19.10.2007 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात् दावा व जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम की गयीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी नं0 1:– " आया वादीगण आराजी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करा स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है।"

तनकी नं0 2:– " आया दावा वादीगण नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के दोष से ग्रसित है। इसका दावे पर क्या प्रभाव है ?"

तनकी नं0 3:– " आया वादीगण ने झूठा दावा महज प्रतिवादीगण को तंग करने को किया है।"

दादरसी ?

दावा में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गयी। साक्ष्यवादी में गवाह श्यामलाल, महताव सिंह, लालसिंह, के शपथ–पत्र पेश हुए। जिनमें से गवाह श्यामलाल के शपथ–पत्र पर दिनांक 08.07.2010 को जिरह पूर्ण हुई। अन्य गवाह उपस्थित न आने पर उनसे जिरह नहीं की जा सकी। तत्पश्चात् साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह सुराजचंद का शपथ–पत्र पेश हुआ। जिससे दिनांक 31.12.2012 को जिरह पूर्ण की गयी। अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गयी।

पत्रावली पर उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। हमनें उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तनकी वाइज विवेचन निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं0 1:– "आया वादीगण आराजी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करा स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी है।" इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का है। वाके ग्राम जघीना स्थित विक्रय किये गये गत खसरा नम्बर 2223, 2224, 2242 किता 3 रकवा 6 बीघा 5 विस्वा मोती पुत्र मोहन व किशन पुत्र गड्डर की 1/4 खातेदारी व 3/4 गैर खातेदारी के थें जिन्हे एकेले मोती द्वारा दिनांक 29. 12.1960 को रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा हुब्बलाल वगैरह पुत्र गण धुन्धरसिंह को विक्रय किया। वादीगण प्रतिवादीगण के पूर्वजों की संयुक्त आराजी के गत खसरा नम्बर 2223, 2224, 2242, 2215, 2217, 2220 शामिल थे। जो कुल रकवा का लगभग आधा हिस्सा मोती द्वारा अपने कब्जें के आधार पर

विक्रय किया गया प्रतीत होता है। मोती द्वारा गैर खातेदारी के रकवे के हिस्से को किस प्रकार बैचान किया गया इस बाबत् वादी ने अपने वाद पत्र में न तो कोई आपत्ति नही उठायी है, नाहीं क्रेतागण हुब्बलाल वगैरह को पक्षकार दावा बनाया है। उभयपक्षों के कुल रकवे के लगभग 1/2 हिस्से से शेष रकवे से हाल खसरा नम्बर 8753, 8751, 8760 किता 3 रकवा 1.05 हैक्टर स्थित जघीना नं0 4 के 1/2 हिस्से पर मृतक मोती के वारिसान के नाम जो प्रविष्टियां हैं, वह कानूनी रूप से गलत दर्ज है। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1993 पेज 246, आर.आर. डी. 1995 पेज 751, 2010 आर.बी.जे. पेज 649 को पेश किया है। ये सभी धारा 53 आर.टी.एक्ट से सम्बन्धित है। प्रस्तुत प्रकरण की मैरिट पर चस्पा नहीं है।

हाल खसरा नम्बर 8745/0.19 बाबत् वादीगण द्वारा कोई अनुतोष दावे में नहीं चाहा गया है। इसलिये इस नम्बर पर कोई भी अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः तनकी नम्बर 1 वाहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाकर वाद ग्रस्त आराजी किता 3 रकवा 1.05 हैक्टर के 1/2 हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा किशनलाल की पुत्रियों को दावे में अंकित नहीं किया अतः खातेदारी दर्ज करते समय तहसीलदार जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।

तनकी नं0 2:– " आया दावा वादीगण नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के दोष से ग्रसित है। इसका दावे पर क्या प्रभाव है ?" इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88–89 व 188 के दावों में मिस जोइन्डर व नोन जोइन्डर के दोष प्रभावी नहीं होते इस आधार पर दावे खारिज नहीं किये जा सकतें। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:– "आया वादीगण ने झूठा दावा महज प्रतिवादीगण को तंग करने को किया है।" वादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 1 निर्णित की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी वादीगण के हक में निर्णित की जाती है।

दादरसी :– वादीगण अन्य कोई अनुतोष प्राप्ती के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार हमारे न्यायिक मत में दावा वादीगण स्वीकार किये हाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम जघीना नं0 4 स्थित हाल खसरा नम्बर 8753/0.61, 8751/0.20, 8760/0.37 किता 03 रकवा 0.57 हैक्टर के 48/61 हिस्सा व कुला किता 3 रकवा 1.05 हैक्टर के 1/2 हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण को समस्त 1.05 हैक्टर पर खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री कायम हो। इससे पूर्व तहसीलदार भरतपुर यह सुनिश्चित कर ले कि मृतक किशनलाल के समस्त जीवित विधिक उत्तराधिकारी जिनमें उसकी पुत्रिया भी सम्मलित है, कीं जांच कर खातेदारी अंकित करें। निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official